

झारखण्ड सरकार
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

वंदना दादेल,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

निदेशक,
राज्य सैनिक कल्याण निदेशालय, झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक- / /2025 ई०।

विषय :- स्थापना व्यय मुख्यशीर्ष-2052-सचिवालय सामान्य सेवाएँ, लघुशीर्ष-092-अन्य कार्यालय, उपशीर्ष-02-स्थल, जल और वायु सैनिक का पर्षद- मुख्यालय प्रभार के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में निधि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त व्यय शीर्ष के अन्तर्गत राज्य मानवाधिकार आयोग के स्थापना व्यय मद अंतर्गत निम्न ईकाईयों में कुल ₹० 1,00,02,000/- (एक करोड़ दो हजार रुपये) मात्र की राशि आवंटित की जाती है :-

ईकाई/विपत्र कोड	राशि
34 - वर्दी (22S20520009202000334)	2,000/- (दो हजार रुपये)
59 - अन्य व्यय (22S20520009202000759)	1,00,00,000/- (एक करोड़ रुपये)
कुल :-	1,00,02,000/- (एक करोड़ दो हजार रुपये)

2. व्यय का वहन वित्तीय वर्ष 2025-26 के स्थापना व्यय मुख्यशीर्ष-2052-सचिवालय सामान्य सेवाएँ, लघुशीर्ष-092-अन्य कार्यालय, उपशीर्ष-02-स्थल, जल और वायु सैनिक का पर्षद-मुख्यालय प्रभार के अन्तर्गत संबंधित मदों/ईकाईयों से किया जायेगा।

3. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक, राज्य सैनिक कल्याण निदेशालय, झारखण्ड, राँची अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी होंगे।

4. उक्त राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची से की जाएगी।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी खर्च का अभिश्रव संघारित करेंगे और व्यय का सत्यापन महालेखाकार कार्यालय से कराकर प्रतिवेदन गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के बजट शाखा को उपलब्ध करायेंगे।

6. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी आवंटित राशि का विचलन अन्य कार्यों के लिए नहीं करेंगे तथा खर्च न होने वाली/बचत की राशि को इस वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व प्रत्यर्पित करने की कार्रवाई करेंगे।

7. यह आवंटन आदेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 2561/वि० (2), दिनांक 17.04.1998 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

8. राशि की निकासी में झारखण्ड कोषागार संहिता 2016 के नियम 74 का अनुपालन सख्ती से किया जायेगा।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(वंदना दादेल)

सरकार के प्रधान सचिव।


क०प०उ०

अज्ञेय

ज्ञापांक- 4/सै०क० (आ०)-101/2018/ राँची, दिनांक- / /2025 ई०।
प्रतिलिपि - कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची को सूचनार्थ एवं
आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

ज्ञापांक- 4/सै०क० (आ०)-101/2018121...../ राँची, दिनांक- 19/12/2025 ई०।
प्रतिलिपि - महालेखाकार (लेखा एवं हक०), झारखण्ड, राँची/नोडल पदाधिकारी, विभागीय पोर्टल, गृह,
कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



19.12.25
सरकार के प्रधान सचिव।



आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

Home, Jail and Disaster Management Department (Home Division)

चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

पत्र संख्या - 4/SK(A)-101/18/121

दिनांक - 19-Dec-2025

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 22 20520009202000334 2052 - सचिवालय-सामान्य मेवाएं 00 - सचिवालय-सामान्य मेवाएं 092 - अन्य कार्यालय 02 - स्थल, जल और वायु सैनिक का पर्पद - मुख्यालय प्रभार 00-NA 03 - प्रशासनिक व्यय Establishment Expenditure State Scheme : NA Central Scheme : NA	79265	PRJSGS015 SANJAY PRASAD GUPTA ASST.DIRECTOR.SAIN IK WELFARE 34 - वर्दी	2,000.00 रुपये दो हजार
2	S 22 20520009202000759 2052 - सचिवालय-सामान्य मेवाएं 00 - सचिवालय-सामान्य मेवाएं 092 - अन्य कार्यालय 02 - स्थल, जल और वायु सैनिक का पर्पद - मुख्यालय प्रभार 00-NA 07 - अन्य व्यय Establishment Expenditure State Scheme : NA Central Scheme : NA	79264	PRJSGS015 SANJAY PRASAD GUPTA ASST.DIRECTOR.SAIN IK WELFARE 59 - अन्य व्यय	10,000,000.00 रुपये एक करोड

योग: रुपये एक करोड दो हजार

क्रमिक योग:

19.12
(VANDANA DADEL)
PRINCIPAL SECRETARY

10,002,000.00